(4)

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द

(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री बृजमोहन बैरवा, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–47/2017 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)

अनवान

राज्य सरकार जरिये श्रीराम मिश्रा , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

श्री कैलाश साहू पिता मदनलाल साहू (मालिक एवं विक्रेता)
मैं0 तिलक आईस्क्रीम 100 फीट कार्नर नाथद्वारा रोड कोकरोली,राजसमन्द

– विपक्षी

अन्तर्गत धारा 26 (2) (ा) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

0 निर्णय 0

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक एच / एफएसएसए /नोटिफिकेशन / 2011 /727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसरण में श्रीराम मिश्रा ,खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार की ओर से पक्षकार है। विपक्षी पर मिसब्राण्ड खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि विपक्षी श्री कैलाश साहू पिता मदनलाल साहू (मालिक एवं विक्रेता) मैं0 मैं0 तिलक आईस्क्रीम 100 फीट कार्नर नाथद्वारा रोड कोकरोली, राजसमन्द जो कि आईस्क्रीम का लेबल लगाकर आम जनता को बेचने का कार्य करते है । श्री माली की दूकान पर दिनांक 12.06.2017 को समय 03.30 पी0एम0 पर वास्ते चेकिंग मैं0 मैं0 तिलक आईस्क्रीम 100 फीट कार्नर नाथद्वारा रोड कोकरोली,राजसमन्द पर पहूंचा। खाद्य कारोबारकर्ता विपक्षी से खाद्य पदार्थ विक्रय का रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा गया, जिस पर विपक्षी द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होना बताया । खाद्य पदार्थ विकय की दूकान पर एक डीप फ्रिज में स्टील की 18 लीटर क्षमता वाली टंकी में करीब 12 लीटर आईसक्रीम आम जनता को विकय हेतु रखी हुई थी। जिसमें मिलावट का शक होने पर 1200 ग्राम वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदकर उसकी कीमत 200/–रूपये विक्रेता को अदा कर रसीद प्राप्त की गई । खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ आईस्क्रीम के नमूने लिये गये, जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर 5ए पर दी।

प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा आईस्क्रीम को मोतबिरान व विपक्षी की उपस्थिति में चार सुखी साफ खली कांच की बोटल्स में बराबर मात्रा में डाला जिसकी मात्रा प्रत्येक नमूना बोटल में 300 ग्राम रही । प्रत्येक चार 4 नमूना भाग बनाए एवं एक जैसे चार लेबल तैयार कर चारों नमूना सील्ड बॉटल्स पर अलग अलग चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द द्वारा जारी की गई पेपर स्लीप नम्बर **ए.एफ 696 एवं** नमुने का विवरण अंकित किया गया । प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने ने हस्ताक्षर किये एवे विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये एवे चारो नमूना भागो को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग को सील चपडी किया गया। सील्ड नमूनों को अपने कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना भाग मय फार्म न. 6 की प्रति के खाद्य विश्लेषक जन स्वाास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद

भागो को मय फार्म न.6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द के पत्र क्रमांक परि./**एफएसएसए/2017/1799** दिनांक **13.07..2017** के द्वारा खाद्य विश्लेषक उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/325/एक्ट/ **2016 /339** दिनांक 16.06..2017 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य आईस्क्रीम मिस ब्राण्ड, पाया गया व खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नमूनो की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,राजसमन्द के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षैत्र के लिये न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई हेतु नियत तिथि को विपक्षी द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर लिखित जबाब पेश किया गया । विपक्षी द्वारा अवगत कराया कि मेरे द्वारा श्आईस्क्रीम में कोई मिलावट नही की है। मुझे उक्त अधिनियम की जानकारी नहीं लेने से जुर्म स्वीकार किया गया । विपक्षी द्वारा जूर्म स्वीकार कर लेने के कारण गवाहान इत्यादि को बुलाया जाना उचित नहीं समझा गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी के जवाब पर मनन किया गया। प्रकरण में चूंकि विपक्षी द्वारा आईस्क्रीम मिसब्राण्ड होने संबंधी अपना जूर्म स्वीकार किया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम–2006, नियम–2011 की धारा 26 (ii) का उपयोग करते हुए उक्त केस में मिसब्राण्ड आईस्क्रीम में मिलावट कर विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से विपक्षी को कुल **2,000 / – रूपये** (अक्षरे रूपया दो हजार) मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे खाद्य पदार्थो मे किसी प्रकार की मिलावट न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि ''न्याय निर्णयन अधिकारी,एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से जमा करा रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द